आदेश ब इजलास पंकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 869/2023 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

बद्री प्रसाद पुत्र स्व॰ श्री प्रेम सिंह जाति राव राजपूत निवासी प्लाट नम्बर 27–ए, श्री नन्दगांव कालोनी लक्ष्मीनगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थी ऋणी

1. टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ (TCHFL) पता –11 फ्लोर टावर ए, पेनिसुला पार्क गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पारेल, मुम्बई ।
2. टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ क्षेत्रीय कार्यालय दी गुमान प्रथम, प्लाट नम्बर 1–7, ब्लॉक एफ, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर ।
3. श्री विशाल चतुर्वेदी प्राधिकृत अधिकारी टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ क्षेत्रीय कार्यालय दी गुमान प्रथम, प्लाट नम्बर 1–7, ब्लॉक एफ, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

रिव्यु प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 705/2023 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) आदेश दिनांक 30.06.2023 को खारिज किये जाने ।

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक **15.02.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 705/2023 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ बनाम बद्री प्रसाद में पारित आदेश दिनांक **30.06.2023** को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया। मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से वकील श्री प्रमोद कुमार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विपक्षी संख्या एक की ओर से विपक्षी संख्या तीन ने अपने आपको प्राधिकृत अधिकारी बताते हुए प्रार्थी बद्री सिंह राव व उसकी पत्नी श्रीमती लाड कंवर के विरूद्व माननीय

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 12.06.2023 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था जिसके संलग्न अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की मद संख्या 5 व 6 में सर्वथा मिथ्या कथन किया है । प्रार्थी को धारा 13 (2) सरफेशी एक्ट का उक्त नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित नहीं किया गया और ना ही रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी को उक्त नोटिस प्राप्त हुआ है। विपक्षीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन के साथ पोस्ट ऑफिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की है। विपक्षी ने कौन से अखबार में नोटिस साया करवाया, इसका कोई उल्लेख दर्ज नहीं किया। प्रार्थी को किसी भी अखबार के माध्यम से उक्त नोटिस की जानकारी नहीं हुई। अपितु विपक्षीगण द्वारा धारा 13(2) सिक्योरिटाईजेशन एक्ट का नोटिस दिनांक 24.12.2022 को प्रार्थी के मकान की दीवार पर चस्पा करने पर जानकारी हुई। विपक्षीगण ने अपने शपथ पत्र की मद संख्या 6 में उक्त जवाब/नोटिस को जानबूझ कर छुपा कर मिथ्या साक्ष्य दी है। विपक्षीगण द्वारा प्रतिवेदन वर्ष 2018 का निस्तारण किये बिना ही और प्रार्थी को संसुचित किये बिना ही दिनांक 30.11.2018 को प्रार्थी के उक्त मकान की दीवार पर बैंक का प्लास्टिक जैसे मेणिया का एक काले रंग का बोर्ड चस्पा कर दिया। विपक्षीगण द्वारा सरफेशी एक्ट का बैजा दुरूपयोग करते हुये दिनांक 30.11.2018 अपनाई गई उक्त गैर कानूनी कार्यवाही को भी विपक्षीगण ने शपथ पत्र मद संख्या 6 में जानबूझ कर छुपा कर मिथ्या साक्ष्य देकर माननीय न्यायालय से उक्त आदेश दिनांक 30.06.2023 प्राप्त कर लिया । सरफेशी एक्ट की धारा 13 (3 क) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि उप धारा 2 के अधीन सूचना की प्राप्ति पर भी कोई प्रतिनिधित्व करेगा या कोई आक्षेप उठायेगा प्रतिभूत ऋणदाता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा प्रतिनिधित्व या आक्षेप स्वीकार करने योग्य या तर्क संगत नहीं है, वह ऐसे प्रतिनिधित्व या आक्षेप को प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रतिनिधित्व या आक्षेप के अस्वीकर किये जाने का कारण संसूचित करेगा, परन्तु हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त अभ्यावेदन पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया और ना ही उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किया और ना ही प्रार्थी को संसूचित किया गया। विपक्षीगण ने अपने काले कारनामो को छुपाने के आशय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन के शपथ पत्र की मद संख्या 6 में जानबूझ कर सर्वथा मिथ्या साक्ष्य देकर माननीय न्यायालय हाजा को गलत जानकारी व गलत तथ्या बता कर उक्त आदेश दिनांक 30.06.2023 प्राप्त किया है जो कतई सद्भावना पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित नहीं होने से रिकाल किया जाकर मंसुख/खारिज किये जाने योग्य है। न्यायिक दृष्टान्त अनिल कुमार अग्रवाल बनाम आई सी आई सी आई बैंक एवं अन्य ए आई आर 2011 छत्तीस पेज 1, जागृत फूड्स प्रा॰ लि॰ एवं अन्य बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स ए आई आर 2008 गौ॰ 101, मरदिया केमिकल लि॰ बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ए आई आर 2004 एस एस पेज 3271 एवं 2004 (17) ए आई सी पेज 1 (एस.सी.), मैसर्स क्लेरिटी गोल्ड प्रा॰ लि॰ बनाम स्टैट ऑफ इण्डिया ए आई आर 2011 बाम्बे पेज 45, मैसर्स टेटूलिया कोक प्लान्ट प्रा॰ लि॰ बनाम बैंक ऑफ इण्डिया

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ए आई आर 2013 झार॰ 12, आई सी आई सी आई बैंक बनाम शान्तिदेवी शर्मा (2008) 7 एस सी सी 532, भूपिन्दर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पटियाला एण्ड अदर्स ए आई आर 2009 पी एण्ड एच पैज 148 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्तों तथा विधिक प्रावधानों के आधार पर माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2023 को रिकाल किया जाकर मंसुख/निरस्त/खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद धारा 340 दं॰ प्र॰ सं॰ अपराध अर्न्तत 191, 192, 193, 195, 415, 417, 418, 420, 120–बी, भा॰ दं॰ सं॰ में दर्ज कराया जाकर न्यायोचित कार्यवाही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मूल रिकार्ड प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.06.2023 की पालना, प्रभाव व कियान्विति को स्थगित फरमाने की कृपा करें तथा इस संबंध में संबन्धित पुलिस थाना व पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को तहरीर आदेश पारित फरमाने की कृपा करें।

5- वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 30.06.2023 को रिकाल करने का अनुतोष चाहा गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत आदेश पारित किये जाने पश्चात उक्त आदेश को रिकाल/रिव्यू करने की कोई क्षेत्राधिकारिता नहीं है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रथमतया क्षेत्राधिकार के अभाव मे ही खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 340 सीआरपीसी में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। इस सन्दर्भ में मान्य न्यायालय से निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा सम्पूर्ण कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है तथा इस सन्दर्भ में सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 32 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सद्भावना पूर्वक किये गये कार्य के लिए सुरक्षा देता है। प्रार्थी को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस की पूर्ण जानकारी थी, किन्तु उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया । विपक्षी कम्पनी द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किये गये एवं दो दैनिक अखबारो में भी साया करवाया गया एवं सम्पत्ति पर चस्पा भी किया गया। विपक्षी कम्पनी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ पोस्ट रसीद व अखबार साया की प्रति प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर ही मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। विपक्षी कम्पनी को प्रार्थी की सम्पत्ति का कब्जा देने की इच्छा नहीं है, किन्तु प्रार्थी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी विपक्षी कम्पनी की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए विपक्षी कम्पनी को मजबूरी वश विधिक कार्यवाही अमल में लानी पड़ी। प्रार्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य बनाने के उद्वेश्य से खाली पन्ने विपक्षी कम्पनी को प्रेषित किये है। विपक्षी कम्पनी ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2023 के जरिये प्रेषित किया जो टंकण त्रुटी के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कारण 09.01.2022 हो गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नोटिस दिनांकित 09.01.2022 को 19.01.2022 टंकित कर रहा है जो कि एक टंकण त्रुटि है । अर्थात टंकण त्रुटि सहवन से किसी से भी हो सकती है एवं प्रार्थी पूर्णतया समस्त तथ्यों की व्यख्या गलत रूप से करके विपक्षी कम्पनी पर नाजायज दबाव बनाने के उद्वेश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई किये जाने का मान्य न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्व धारा 17 में अपील किये जाने का प्रावधान है । मान्य न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र व अन्य में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश की गई है। जिस पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये धारा 14 सरफेशी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कर प्रार्थी के स्वामित्व की बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना कब्जा प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 30.06.2023 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है, उनको तय किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. आदेश आज दिनांक **15.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner